

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भिनाय (अजमेर)  
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी आर.ए.एस.)

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./124/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/210

1. गोविन्द पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. रामराज पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री राहुल कुमार आचार्य अधिवक्ता प्रार्थी  
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।

दिनांक - 19.11.2025

- : निर्णय :-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का जरिये अधिवक्ता पेश किया जिसका संक्षेप में सार इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि राजस्व ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया भू0अ0नि0 क्षेत्र राममालिया तहसील भिनाय के खाता सं0 627 में दर्ज खसरा संख्या 644 रकबा 2.48, कुल किता 01 कुल रकबा 2.4800 हैक्टर के रूप में अवस्थित है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं तथा बाजौत कर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी अपने हक अधिकारों की भूमि पर निरन्तर व निर्विवाद रूप से काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के ग्राम राममालिया के खसरा संख्या 644 की भूमि चारों तरफ कच्ची पक्की सीव माठ कायम चली आ रही है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सीवमाठ के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं तथा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग/उपभोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 01 को ग्राम राममालिया के खसरा संख्या 644 की भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने साफ़ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम राममालिया तहसील भिनाय की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 644 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये


  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस/सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राजपैरोकार के रूप में स्वयं उपस्थित हुये। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए हुए, जरिये प्रार्थना-पत्र प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, प्रकरण में राजहित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने बाबत निवेदन किया गया। साथ ही निवेदन किया गया कि, प्रार्थी द्वारा पड़ौसी खातेदारान के साथ सीमा विवाद का उल्लेख किया है परन्तु खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही सीमाज्ञान का मौका पर्चा संलग्न पत्रावली किया गया है। भू-राजस्व अधिनियम प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है। पक्षकार की तलबी हो चुकी है तथा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हो चुका है। इसलिए प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण हाजा को बहस हेतु नियत किया गया।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 1956 पर नियत तारीख पेशी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाने तथा तहसीलदार भिनाय से पत्थरगढी किये जाने संबंधी अनुतोष चाहा है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस जवाब अनुसार कथन दौहराये।

बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 644 की पत्थरगढी बाबत निवेदन किया गया है। इसी प्रकार धारा 128 आरएलआर एक्ट के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है जिनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी, पैरोकार सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी राममालिया के खाता संख्या 627 संवत 2071-2074 (वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 प्रकरण में वांछित अनुतोष यथा ग्राम राममालिया तहसील भिनाय के खसरा संख्या 644 की भूमि का पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सही एवं न्यायोचित समझते है।


  
उपसष्ट अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

प्रकरण संख्या 124/2025  
गोविन्द बनाम राजस्थान सरकार धारा 128 रा0भू राजस्व अधि0

— :: आदेश :: —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 स्वीकार किया जाकर ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया भू.अ.नि.क्षेत्र राममालिया तहसील भिनाय में स्थित खाता सं0 627 में दर्ज खसरा संख्या 644 रकबा 2.4800, कुल किता 01 कुल रकबा 2.4800 हैक्टर की भूमि की सीमाओं की पत्थरगढ़ी नायब तहसीलदार भिनाय द्वारा किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस बाबत नायब तहसीलदार भिनाय को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ संबंधित भू.अ.निरीक्षक राममालिया एवं संबंधित पटवारी हल्का राममालिया तहसील भिनाय की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। प्रार्थी पक्ष को आदेशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार भिनाय को मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज-सामान उपलब्ध कराया जावे एवं साथ ही राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, (नायब तहसीलदार भिनाय को 1000/- व संबंधित भू.अ. निरीक्षक को 700/- एवं संबंधित पटवारी हल्का को 500/-रूपये) अदा करे। नायब तहसीलदार भिनाय प्रार्थी पक्ष द्वारा फीस अदा किये जाने पर सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार भिनाय को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जीतू कुलहरी RAS)  
उपायुक्त अधिकारी  
उपजांच अधिकारी  
भिनाय, अजमेर  
भिनाय (अजमेर)